प्रेस-नोट
जनपद-संतकबीरनगर
दिनांक- 01.11.2026

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष बेलहरकला ***श्री सर्वेश कुमार*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना बेलहरकला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 294/2026 धारा 191(2), 352, 351(3), 109(1), 121(2), 132, 303(2), 317(2) बीएनएस व धारा 26 भारतीय वन अधिनियम में वांछित अभियुक्त 01. नजबुल पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी जंगल दशहर थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को उसके घर से गिरफ्तार कर मा0न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण— वादी श्री गोविन्द त्रिपाठी पुत्र मुक्तिनाथ त्रिपाठी वन विभाग मेंहदावल रेंज बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बेलहरकला पर दिनांक 03.10.2026 को ग्राम जंगल दशहर में रिजर्व फारेस्ट की लकड़ी के अवैध कटान की सूचना पर वादी मय टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपने साथियों के साथ वन विभाग की टीम के साथ लाठी डण्डो से मारपीट करते हुए वादी को गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया तथा बचाव में आए अन्य कर्मचारियों पर भी हमला व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया। थाना बेलहरकला द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त अभियुक्त को दिनांक 31.10.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया। अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित 04 अभियुक्तगण 01. सदरे आलम 02. मो0 फारुख पुत्रगण हकीमुल्लाह 03. हकीमुल्लाह पुत्र मोहम्मद 04. रजा सरवरे आलम पुत्र हकीमुल्लाह निवासीगण जंगल दशहर थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर पूर्व से जिला कारागार में निरुद्ध हैं।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम— व0उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कन्नौजिया, हे0का0 बृजेश पाण्डेय, का0 रोहित कुमार।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर लूट की झूठी सूचना का किया गया अनावरण

दिनांक 31.10.2026 को रोमन पत्नी किशनलाल निवासी मंझरिया पठान थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर द्वारा सूचना दी गई कि वह नन्दौर स्थित बड़ौदा यूपी बैंक से ₹70,000/- निकालकर घर जा रही थीं। इसी दौरान दुर्गजोत एवं मंझरिया पठान के बीच भटपुरवा के पास गांव के ही बाबूलाल पुत्र सहदेव कपिल पुत्र बेलास एवं किशन पुत्र अज्ञात द्वारा उक्त धनराशि छीन ली गई।

सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकरण की जांच की गई। जांच के दौरान प्रकाश में आया कि आवेदिका द्वारा पलटू पुत्र सोमई निवासी परसा पाण्डेय थाना मेहदावल से रुपये उधार लिए गए थे तथा बैंक से निकाली गई धनराशि में से ₹69,000/- पलटू को वापस किए गए थे।

पुलिस द्वारा पलटू को बुलाकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने रोमन को ₹69,000/- उधार दिए थे, जिसे रोमन द्वारा वापस किया गया है। उक्त धनराशि पलटू द्वारा यूपी ग्रामीण बैंक गुलरिहा शाखा में जमा भी की गई है। पूछताछ के दौरान रोमन द्वारा भी स्वीकार किया गया कि उसके साथ लूट की कोई घटना नहीं हुई थी तथा बाबूलाल आदि से परेशान होकर उसने इस संबंध में सूचना दी थी।

इस प्रकार थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही एवं जांच के आधार पर लूट की सूचना असत्य पाई गई तथा प्रकरण का सफल अनावरण किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 600 ग्राम अवैध गांजे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महुली ***श्री हरेन्द्र पाठक*** के नेतृत्व में थाना महुली पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्त 01. हरिराम पुत्र स्व0 त्रिवेणी निवासी सुरस देवरिया थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर को आज दिनांक 02.11.2026 को देवापार हेड पुलिया के पास से 600 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना महुली पर मु0अ0सं0 449/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

- 01. हरिराम पुत्र स्व0 त्रिवेणी निवासी सुरस देवरिया थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर।

बरामदगी:-

- 600 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री दशरथ कुमार, हे0का0 आनन्द दूबे, का0 सुदीप कुमार, का0 अरविन्द यादव, का0 आदित्य सिंह।